

## प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला ए.सी.बी पाली थाना : ए.सी.बी, सी.पी.एस. जयपुर वर्ष 2022  
प्र.इ.रि.सं..... 51/2022 दिनांक..... 17/2/22
2. (1) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारायें 7  
(2) अधिनियम — धाराये .....—  
(3) अधिनियम .....— धाराये .....—  
(4) अन्य अधिनियम व धाराये .....—
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ..... 361 समय ..... 12.00 P.M.  
(ब) अपराध के घटने का दिन — बुधवार दिनांक—16.02.2022 समय: 11:05 ए.एम.  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक — 14.02.2022 समय.— 02:00 पी.एम।
4. सूचना किरम :- लिखित।
5. घटनास्थल :-  
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :- बरुख दक्षिण ब्यूरो चौकी पाली से करीब 45 किमी।  
(ब) पता :- आरोपी पटवारी का रहवासी किराये का मकान, गांव लापोद बीट संख्या .....— जरायमदेही सं—...  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो  
पुलिस थाना .....— जिला .....—
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-  
(अ) नाम :- श्री घेवरचन्द  
(ब) पिता / पति का नाम :- श्री ठाकरराम  
(स) जन्म तिथि ..... 27 वर्ष।  
(द) राष्ट्रीयता:- भारतीय  
(द) पासपोर्ट संख्या .....— जारी होने की तिथि .....—  
जारी होने की जगह .....—  
(र) व्यवसाय :- व्यापार  
(ल) पता:- निवासी गांव बड़गावड़ा, ग्राम पंचायत लापोद, पुलिस थाना तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :-
  1. श्री आशीष मीणा पुत्र श्री फेलीराम जाति मीणा उम्र 27 वर्ष पेशा नौकरी निवासी गांव धनावाड़ा, तहसील बसवा, पुलिस थाना कोलवा जिला दौसा हाल पटवारी पटवार मण्डल लापोद तहसील सुमेरपुर जिला पाली
  2. (शिकायत / इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) :- शून्य
  3. (चोरी हुई सम्पति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ न्तर्थी करें) —
  4. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य :- —
  5. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला से) (यदि कोई हो तो) :- —
  6. (प्र०सू०रि० की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ न्तर्थी करें) :- —

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली।

विषय : रिश्वत लेते हुए पटवारी को पकड़वाने बाबत्।

महोदय जी,

मेरा निवेदन है कि मेरे गांव बड़गावड़ा में मेरे पिताजी के नाम कृषि भुमि आई हुई है। जिसके खसरा नम्बर 1225 एवं 426 है। मेरे द्वारा बैंक के लोने लेने हेतु ऑनलाइन जमाबंदी देखी गई जिसमें मेरे पिताजी का नाम ठाकरी पुत्र सरूप जाति सीरवी लिखा हुआ था। हमारी जाति रेबारी है। जमाबंदी में मेरे पिताजी की जाति को सही कराने हेतु मैंने ग्राम पंचायत लापोद में हुए प्रशासन गांवों के संग केम्प के दौरान मैंने प्रार्थना पत्र बड़े अधिकारियों से मार्क करवाकर हमारे गांव के पटवारी श्री आशीष मीणा को दिया था।

मैं बाद में श्री आशीष मीणा पटवारी से मिला तो पटवारी मेरे पिताजी की जाति को जमाबंदी में सही करने की एवज में मेरे से रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं। मेरे एवं श्री आशीष मीणा पटवारी के बीच कोई लेन-देन बकाया नहीं है एवं कोई रंजिश नहीं है।

मैं भ्रष्ट पटवारी श्री आशीष मीणा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करवाये।

संलग्न :-

1. जमाबंदी की छायाप्रति
2. आधार कार्ड की छायाप्रति

हस्ताक्षर  
14.02.2022  
नरपत चंद,  
Adsp Acb पाली

हस्ताक्षर  
श्री नरेश चौधरी गवाह : 15.02.2022  
श्री दिलीप मेवाड़ा गवाह : 15.02.2022

प्रार्थी  
हस्ताक्षर  
दिनांक 14.02.2022  
(घेरचन्द पुत्र श्री ठाकररामजी  
जाति रेबारी गांव बड़गावड़ा, ग्राम पंचायत लापोद,  
तहसील सुमेरपुर, जिला पाली  
मोबाईल नम्बर 9867769781 )

कार्यवाही पुलिस दिनांक 14.02.2022 समय 2:00 पी.एम.

श्रीमान्

प्रकरण हाजा के हालात इस प्रकार है कि इस समय परिवादी श्री घेरचन्द पुत्र श्री ठाकरराम जाति रेबारी, गांव बड़गावड़ा, ग्राम पंचायत लापोद, तहसील सुमेरपुर जिला पाली ने मोबाईल नम्बर 9867769781 से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9413881226 पर फोन कर बताया कि मैं गांव बड़गावड़ा का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी की गांव में जमीन आई हुई जिसकी जमाबंदी में मेरे पिताजी की जाति सीरवी आ रही है जबकि हमारी जाति रेबारी है। जिसपर मैंने गांव लापोद में केम्प के दौरान प्रार्थना पत्र अधिकारियों से मार्क करवाकर

पटवारी श्री आशीष मीणा को दिया था। मैं अब केम्प के बाद पटवारी से मिला तो पटवारी मेरे पिताजी की जाति सही करने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहे हैं। मैं आशीष मीणा पटवारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़वाकर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूँ वगैरा तथ्य बताये। जिस पर परिवादी को उक्त तथ्यों की शिकायत लेकर पाली स्थित कार्यालय में उपस्थित होने हेतु अनुरोध किया गया, मगर परिवादी ने अपने घरेलू कार्य में व्यस्थता के कारण पाली स्थित कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थता जताते हुए हाईवे पर स्थिति नजदीकी गांव केनपूरा तक पहुंचने की बात कही। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत की गई कि आप केनपूरा पहुंच मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मोबाईल पर संपर्क करें। साथ ही परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत की।

तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री यशपालसिंह कानि. 429 मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर लेकर ब्यूरो चौकी पाली से कस्बा केनपूरा के लिये जरिये निजी वाहन से रवाना होकर कस्बा केनपूरा पहुंचे तथा परिवादी के मोबाईल नम्बर पर संपर्क कर उपस्थित ज्ञात करने पर परिवादी श्री धेवरचन्द एकान्त स्थान पर उपस्थित आया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को अपना परिचय देकर उसका परिचय पुछा तो उसने अपना परिचय श्री धेवरचन्द पुत्र श्री ठाकरराम जाति रेबारी, गांव बड़गावड़, ग्राम पंचायत लापोद, तहसील सुमेरपुर जिला पाली दिया। तत्पश्चात् परिवादी श्री धेवरचन्द ने एक लिखित हस्ताक्षरित रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की छायाप्रति एवं अपने पिताजी के नाम जमीन की जमाबंदी की हस्ताक्षरित छायाप्रतियां मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की, जिसका अवलोकन करने पर परिवादी श्री धेवरचन्द द्वारा पूर्व में दूरभाष पर बताये तथ्य ही अंकित होना पाया गया। पूछने पर परिवादी श्री धेवरचन्द ने रिपोर्ट में अंकित समस्त तथ्य सही होना बताया। दरियापत पर पूछने पर परिवादी ने उक्त रिपोर्ट में वर्णित तथ्य ही बताते हुए बताया कि श्री आशीष मीणा पटवारी मेरे पिताजी के नाम के खसरे संख्या 1225 एवं 426 की जमाबंदी में मेरे पिताजी की जाति सीरवी अंकित है जो सही रेबारी करने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा है वगैरा रिपोर्ट एवं दरियापत से मामला प्रथम दृष्ट्या भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि के परिपेक्ष्य में मांग सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् दिनांक 14.02.2022 को समय 03:15 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री धेवरचन्द एवं श्री यशपालसिंह कानि. का आपस में परस्पर परिचय करवाया जाकर ब्यूरो चौकी से साथ लाये डिजीटल वॉयस रिकार्डर संचालन की प्रक्रिया परिवादी एवं श्री यशपालसिंह कानि. को समझाई जाकर श्री यशपालसिंह कानि. को मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर के आरोपी द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत के साथ परिवादी के साथ जरिये परिवादी की मोटरसाईकिल से ग्राम लापोद के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करवाकर केनपूरा के पुल से आगे पाली हाईव पर परिवादी एवं श्री यशपालसिंह कानि. के इंतजार में व्यस्त हुआ।

दिनांक 14.02.2022 को समय 4:30 पी.एम पर श्री यशपालसिंह कानि. एवं परिवादी श्री धेवरचन्द पाली हाईवे पर मेरे पास उपस्थित आये। श्री यशपालसिंह ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑफ शुदा सुपुर्द कर बताया आपके निर्देशानुसार मैं एवं परिवादी श्री धेवरचन्द आपके पास से रवाना होकर गांव लापोद के पास पहुंचे, आरोपी की लोकेशन ज्ञात करने हेतु परिवादी के मोबाईल नम्बर 9867769781 से आरोपी श्री आशीष मीणा पटवारी के मोबाईल नम्बर 7023254875 पर कॉल करवाकर स्पीकर ऑन कर वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाई गई जिसपर आरोपी द्वारा परिवादी को बैंक के पास बुलाया गया। तत्पश्चात् परिवादी को आवश्यक समझाई श कर आरोपी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के संबंध में वार्ता करने हेतु साथ लाया डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर परिवादी श्री धेवरचन्द को सुपुर्द कर वार्ता करने हेतु रवाना किया तथा मैं वहीं आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के वापस आने के इंतजार में खड़ा रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी मेरे पास उपस्थित आया। मैंने परिवादी श्री धेवरचन्द से डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीचऑफ कर अपने पास रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि श्री आशीष

मीणा पटवारी ने मेरे पिताजी की जाति को रिकॉर्ड में रेबारी करने की एवज में 10000/- रुपये में काम करने की सहमत दी है तथा 5000/- रु. पहले एवं 5000/- रुपये काम होने के बाद लेने हेतु सहमत हुआ है। जिसपर मैं डिजिटल वाइर्स रिकॉर्डर एवं परिवादी सहित उपस्थित आया हूँ। जिसपर मांग सत्यापन में गये कानि के साथ उपस्थित आया परिवादी श्री घेवरचन्द ने भी कानि। यशपालसिंह के बताये गये तथ्यों की तायद की। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉईस रिकार्डर को ऑन कर सुना तो श्री यशपालसिंह कानि। द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई एवं आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर अपने पास सुरक्षित रखा एवं आईन्दा रूबरु स्वतंत्र गवाहान के फर्द ट्रान्स्क्रीप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मूर्तिब करने का निर्णय लिया। परिवादी श्री घेवरचन्द को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कल दिनांक 15.02.2022 को 2:00 पीएम पर एसीबी कार्यालय पाली में उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रखस्त किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं कानि। यशपालसिंह डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सहित एसीबी कार्यालय पाली हेतु रवाना होकर एसीबी कार्यालय पाली पहुँचे। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर अपनी अलमारी में सुरक्षित रखा।

दिनांक 15.02.2022 को समय 02:00 पी.एम पर परिवादी श्री घेवरचन्द पुत्र श्री ठाकरराम जाति रेबारी, गांव बड़गावड़ा, ग्राम पंचायत लापोद, तहसील सुमेरपुर जिला पाली ब्लूरो कार्यालय पाली पर उपस्थित आया एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया जिसपर दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी करने का निर्णय लिया जाकर विकास अधिकारी पाली के नाम तहरीर जारी कर श्री नरेन्द्र चौधरी कानि। 286 को सुपुर्द कर दो निष्पक्ष गवाहान अपने साथ लेकर आने की हिदायत कर रवाना किया। दिनांक 15.02.2022 को समय 03:30 पी.एम पर श्री नरेन्द्र चौधरी कानि। 286 दो कार्मिकों के साथ उपस्थित आया एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर दोनों कार्मिकों से परिचय पुछने पर दोनों ने क्रमशः अपना परिचय श्री नरेश चौधरी पुत्र श्री मांगीलाल जाति सिरवी उम्र 33 वर्ष पेशा नौकरी, निवासी 38, जवाहर नगर, गोकुल वाड़ी के सामने, पुलिस थाना कोतवाली, पाली हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत लाम्बिया पंचायत समिति पाली, जिला पाली, मोबाईल नम्बर 9001967653 एवं श्री दिलीप कुमार मेवाड़ा पुत्र श्री कन्हेयालाल मेवाड़ा जाति कलाल उम्र 36 वर्ष पेशा नौकरी निवासी गांव खेरवा, पुलिस थाना सदर, तहसील पाली जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत सांपा, पंचायत समिति पाली, जिला पाली, मोबाईल नम्बर 9214982164 के रूप में दिया। इस पर उपस्थित परिवादी श्री घेवरचन्द का परिचय परस्पर दोनों कार्मिकों से करवाया गया एवं उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दोनों कार्मिकों को सुनायी एवं पढ़ायी गयी तथा परिवादी एवं आरोपी के बीच रिश्वत राशि मांग सत्यापन से पूर्व मोबाईल पर हुई वार्ता एवं वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान हुई वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड है जो दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनायी गई। दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट पर अपने—अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। उक्त दोनों कार्मिकों को इस प्रकरण में निष्पक्ष गवाह रहने का कहने पर दोनों कार्मिकों ने अपनी—अपनी सहमति प्रकट की।

दिनांक 15.02.2022 को समय 03:40 पी.एम. पर दोनों निष्पक्ष गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में आरोपी श्री आशीष मीणा पटवारी व परिवादी श्री घेवरचन्द के मध्य दिनांक 14.02.2022 को मोबाईल पर हुई वार्ता जो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है उसकी एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान डिजीटल वॉईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा वार्ता को सुन—सुनकर एवं समझ—समझकर शब्द—ब—शब्द कम्प्युटर के माध्यम से फर्द ट्रान्स्क्रीप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन तैयार करना प्रारम्भ की गयी। फर्द रिश्वत राशि मांग सत्यापन से पूर्व एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मूर्तिब कर शामिल रनिंग नोट की गयी तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन से पूर्व एवं वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कम्प्युटर के माध्यम से दो सीड़ीयां तैयार की गई। एक सी.डी. को मूल मानते हुए सफेद कपड़े की थैली में सील मोहर किया जाकर कपड़े की थैली एवं फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दूसरी सी.डी. को डब मानते हुए खुली हालत में रखा गया। उक्त रिकार्डशुदा वार्ता में

आरोपी एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री घेवरचन्द द्वारा की गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन से पूर्व एवं वक्त मांग सत्यापन वार्ता की शिल्डशुदा सी.डी. एवं डब सी.डी को अपने पास सुरक्षित रखा।

दिनांक 15.02.2022 को समय 04:20 पी.एम. पर परिवादी श्री घेवरचन्द ने दोनों निष्पक्ष गवाहान की उपस्थिति में आरोपी श्री आशीष मीणा को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि 2000/- रूपये का एक नोट एवं 500-500 रूपये के 06 नोट कुल 07 नोट राशि 5,000 रूपये मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित कर मालखाना प्रभारी श्री किशनसिंह मुख्य आरक्षक से फिनोफथलीन पाउडर की शिशि मंगवाई गई। उपरोक्त सभी नोटों को अखबार पर रखवाये जाकर नोटों पर श्री दशरथसिंह कानि. 428 से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री घेवरचन्द की जामा तलाशी गवाह श्री नरेश चौधरी कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल परिवादी के पास ही रहने दिया गया। इसके बाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 5,000/- रूपयें के नोट श्री दशरथसिंह कानि. 428 से ही परिवादी के पहनी हुई जींस पेंट के दांयी साईड की जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह अपनी जेब में रखे नोटों को हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी श्री आशीष मीणा पटवारी द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन करने की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर ले। आरोपी रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहाँ छुपाता है का भी ध्यान रखें। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फेर कर या अपने मोबाईल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करें।

तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री दशरथसिंह कानि. 428 के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाई शक्ति की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर गिलास को अलग रखा गया। उस अखबार को श्री दशरथसिंह कानि. से जलाकर नष्ट करवाया गया जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री वगैरहा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया गया एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री दशरथसिंह कानि. 429 को ट्रेप कार्यवाही से पृथक रखने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की गई। हाजरीन को पढ़कर सुनाई गई। सुन, समझ, सही मान समस्त ने अपने अपने हस्ताक्षर किये।

दिनांक 15.02.2022 को समय 04:50 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमरा व्यूरो जाब्ता सर्व श्री किशनसिंह मुख्य आरक्षक नं. 92, श्री यशपालसिंह कानि. 429, श्री धर्मराम कानि. 400, श्री रतनसिंह कानि. 357, श्री नरेन्द्र चौधरी कानि. 286, श्री अवतारसिंह

वरिष्ठ लिपिक मय स्वतंत्र गवाह श्री नरेश चौधरी कनिष्ठ सहायक एवं श्री दिलीप कुमार मेवाड़ा कनिष्ठ सहायक व परिवादी श्री घेरचन्द जरिये मोटरसाईकिलो एवं निजी वाहन से मय ट्रेपबॉक्स आवश्यक सामग्री तथा विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर, लेपटॉप मय प्रिन्टर सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु गांव लापोद के लिये रवाना हुए। रिश्वत राशि पर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री दशरथसिंह कानि. 428 को ब्यूरो चौकी पाली पर छोड़ा गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त हमराहियान के गांव लापोद के बाहर केनपुरा रोड़ पर पहुंचे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि के हाथ नहीं लगाने हेतु आवश्यक पुनः हिदायत दी गई जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री घेरचन्द को आरोपी की उपस्थिति का पता लगाने हेतु कहा गया जिसपर परिवादी श्री घेरचन्द ने अपने स्तर पर आरोपी श्री आशीष मीणा पटवारी की उपस्थित का पता लगाने हेतु प्रयास प्रारम्भ किये गये।

दिनांक 15.02.2022 को समय 06:30 पी.एम. पर परिवादी श्री घेरचन्द ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं रुबरु गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के अपने मोबाईल फोन से आरोपी श्री आशीष मीणा पटवारी के मोबाईल पर फोन किया परन्तु आरोपी श्री आशीष मीणा ने फोन नहीं उठाया। जिसपर परिवादी ने बताया कि आरोपी का पुनः फोन आना का इंतजार करना ठीक रहेगा जिसपर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी का पुनः फोन परिवादी के फोन पर आने तक इंतजार करना उचित होना मानकर समस्त ट्रेप पार्टी आरोपी के फोन के इंतजार में व्यस्त हुए। दिनांक 15.02.2022 को समय 07:10 पी.एम. तक मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं गवाहान एवं परिवादी एवं समस्त ट्रेप सदस्यों ने परिवादी के मोबाईल पर आरोपी का फोन आना का इंतजार किया परन्तु आरोपी का फोन नहीं आने के कारण तथा सुर्यास्त होने के कारण रिश्वत राशि का खुर्द बुर्द होने की संभावना होने तथा बार-बार आरोपी को फोन लगाने से आरोपी को संदेह होने की संभावना होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही आईन्दा कल दिनांक 16.02.2022 को करने का निर्णय लिया जाकर परिवादी श्री घेरचन्द के पहनी हुई जींस पेंट की दाहिनी जेब में रखवायी गई रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाहा श्री दिलीप कुमार मेवाड़ा कनिष्ठ सहायक से निकलवायी जाकर एक सफैद लिफाफे मे डलवाकर सुरक्षा की दृष्टि से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी अभिरक्षा में रखा।

परिवादी को दिनांक 16.02.2022 को हाईवे पर गांव ढोला पर प्रातः 09:40 बजे मिलने हेतु पाबन्द कर रुखस्त किया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान, सामग्री एवं रिश्वत राशि का लिफाफा सहित निजी मोटरसाईकिल एवं वाहनों से एसीबी कार्यालय पाली के लिए रवाना होकर एसीबी कार्यालय पाली पहुंचे। ब्यूरो का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर एवं लिफाफा मालखाना में रखवाया जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 16.02.2022 को प्रातः 08:30 बजे कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया जाकर रुखस्त किया गया एवं ब्यूरो के सदस्यों को भी प्रातः समय पर कार्यालय आने के निर्देश दिये गये।

दिनांक 16.02.2022 को समय 08:30 ए.एम. तक पूर्व से पाबन्दशुदा दोनों निष्क गवाहान एवं पूर्व से पाबन्दशुदा ब्यूरो स्टाफ उपस्थित आये एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया। दिनांक 16.02.2022 को समय 08:55 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री नरेश चौधरी कनिष्ठ सहायक व श्री दिलीप कुमार मेवाड़ा कनिष्ठ सहायक, ब्यूरो जाब्ता के सदस्य सर्व श्री किशनसिंह मुख्य आरक्षक नं. 92, श्री यशपालसिंह कानि. 429, श्री धर्माराम कानि. 400, श्री हनुमानसिंह कानि. 427, श्री नरेन्द्र चौधरी कानि. 286, श्री अवतारसिंह वरिष्ठ लिपिक जरिये प्राईवेट वाहन एवं मोटरसाईकिल मय ट्रेपबॉक्स आवश्यक सामग्री तथा विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर, लेपटॉप मय प्रिन्टर, पानी केम्पर, साबुन एवं रिश्वत राशि का लिफाफा लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु कस्बा ढोला के लिए रवाना होकर कस्बा ढोला पहुंच वाहनों को एक तरफ खड़ा कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल नं. 9413881226 से परिवादी के मोबाईल नं. 9867769781 पर वार्ता कर उपस्थिति के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि मैं ढोला से लापोद जाने वाली कच्ची ग्रेवल सड़क पर खड़ा हूं। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमराहियान के परिवादी द्वारा बताये ढोला से

लापोद मार्ग के लिये रवाना होकर परिवादी द्वारा बताये ढोला से लापोद मार्ग पर पहुंचे। उक्त कच्ची ग्रेवेल सड़क पर परिवादी मोटरसाईकिल के पास खड़ा मिला।

मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा द्वारा वाहनो को साईड मे खड़ा करवाया गया। तत्पश्चात रिश्वत राशि का लिफाफा मे से रिश्वत राशि श्री नरेन्द्र चौधरी कानि. 286 से निकलवाई गई व पूर्व की तैयारशुदा फर्द पेशीकेशी श्री दिलीप कुमार मेवाड़ा कनिष्ठ सहायक को सुपूर्द कर नोटो के नम्बरो का मिलान करवाया गया तो दो हजार रुपये का एक नोट एवं 500-500 रुपये के छः नोट कुल 07 नोट राशि 5000 रुपये होकर नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी मे अकिंत नम्बरो से हुबहु होना गवाहान द्वारा बताया गया। परिवादी की जामा तलाशी श्री दिलीप कुमार मेवाड़ा स्वतंत्र गवाहान से लीवाई जाकर परिवादी के पास परिवादी का मोबाईल ही मिला जो परिवादी के पास ही रहने दिया गया एवं श्री नरेन्द्र चौधरी कानि. से परिवादी के पहनी जींस पेंट की दाहिनी जेब मे उक्त रिश्वत मे दी जाने वाली रिश्वत राशि 5000/- रुपये रखवाये गये। तत्पश्चात श्री नरेन्द्र चौधरी एवं स्वतंत्र गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवाये जाकर कानि. श्री नरेन्द्र चौधरी को हिदायत दी गई कि जब तक आरोपी के हाथ धोवन की कार्यवाही पूर्ण नही हो जाती ट्रेप कार्यवाही से पृथक रहे। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान मोटर साईकिलों एवं वाहनो से गांव लापोद के नजदीक पहुंचने हेतु रवाना हुए।

दिनांक 16.02.2022 को समय 10:00 ए.एम पर सभी ग्राम लापोद के पास पहुंच। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को आरोपी की मालूमात करने हेतु रवाना किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान परिवादी के आने के इंतजार मे व्यस्त हुए। दिनांक 16.02.2022 को समय 10:30 ए.एम पर परिवादी मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं हमरायान के पास आकर रुबरु गवाहान बताया कि पटवारी श्री आशीष मीणा ग्राम लापोद मे जिस जगह पर बैठकर कर पटवारी का कार्य करता है वह दुकान बंद है। इसलिए पटवारी श्री आशीष मीणा को फोन पर उपस्थित का मालूमात किया जाना उचित होगा। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री घेवरचन्द के मोबाईल नम्बर 9867769781 से आरोपी श्री आशीष मीणा के मोबाईल नम्बर 7023254875 पर कॉल करवाया जाकर स्पीकर ऑन कर विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को ऑन कर वार्ता को रिकॉर्ड करवाया गया जिसमें आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी को स्कूल के पास घर पर आने हेतु कहा गया। जिसपर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को आवश्यक हिदायत दी की रिश्वत राशि का आदान-प्रदान होने पर आरोपी पटवारी के निवास के बाहर आकर दो-तीन बार अपने सिर पर हाथ फिरावे। परिवादी को रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान पैदल-पैदल एवं मोटरसाईकिलों से परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुए।

दिनांक 16.02.2022 को समय 10:50 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान परिवादी के पीछे-पीछे ग्राम लापोद मे रिथत स्कूल के पास एकान्त मे परिवादी के पास पहुंच मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी को सुपूर्द कर आरोपी श्री आशीष मीणा को रिश्वत राशि देने हेतु रवाना किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान कुछ दूरी पर पहुंच मुकीम हुए। परिवादी को एक निवास मे प्रवेश होते देखा गया।

दिनांक 16.02.2022 को समय 11:05 ए.एम. पर परिवादी श्री घेवरचन्द ने पटवारी श्री आशीष मीणा के निवास स्थान के बाहर आकर पूर्व निर्धारित गोपनीय अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फिराकर ईशारा किया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के श्री आशीष मीणा पटवारी के निवास स्थान के मुख्य द्वार पर पहुंचे। जहां पर परिवादी श्री घेवरचन्द उपस्थित मिला। जिस पर परिवादी श्री घेवरचन्द से डिजीटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री घेवरचन्द ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री आशीष मीणा पटवारी अपने मकान मे बाहर के प्रथम कमरे मे कम्प्यूटर पर कार्य कर रहे है। जिन्होने मेरे से मेरे कार्य के एवज मे 5,000 रुपये लेकर अपने पहने हुए जिन्स पेंट के पीछे की दाहिनी जेब मे रखे है।

जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता के परिवादी श्री घेवरचन्द को साथ लेकर मकान के अन्दर प्रवेश हुए। मकान के आगे के प्रथम कमरे में एक व्यक्ति बैठा हुआ लेपटॉप पर कार्य कर रहा था। पास ही खड़े परिवादी श्री घेवरचन्द ने उक्त व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह ही श्री आशीष मीणा पटवारी है, जिन्होने मेरे से ग्राम बडगावडा में मेरे पिताजी के नाम की भूमि की जमाबन्दी में जाति संशोधन करने के एवज में मेरे से 10,000 रुपये की मांग की थी तथा आज अभी—अभी मेरे से 5,000 रुपये लेकर अपने पहने हुए जिन्स पेंट के पीछे की दाहिनी जेब में रखे हैं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने टेबल कुर्सी पर लेपटॉप पर कार्य कर रहे व्यक्ति को अपना एवं हमरायान का परिचय देते हुए उसका परिचय पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना परिचय आशीष मीणा पुत्र श्री फेलीराम, जाति मीणा, उम्र 27 वर्ष, निवासी गांव धनावाड़ा, तहसील बसवा, पुलिस थाना कोलवा, जिला दौसा हाल पटवारी, पटवार मण्डल लापोद, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली होना बताया। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने रुबरु गवाहन श्री आशीष मीणा पटवारी को परिवादी श्री घेवरचन्द से 5,000 रुपये रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो श्री आशीष मीणा पटवारी ने बताया कि हाँ मैंने श्री घेवरचन्द से 5,000 रुपये लिए हैं। जो मेरे पहने हुए जिन्स पेंट के पीछे दाहिनी जेब में रखे हैं। साहब गलती हो गई माफ करो, मेरी नई नई नौकरी है। उपस्थित परिवादी ने भी श्री आशीष मीणा पटवारी के कथनों की तार्झद की। इस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर चलाकर सुना तो रिश्वत राशि का आदान—प्रदान की वार्ता रिकार्ड होना पायी गयी।

तत्पश्चात् हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए कांच की दो साफ गिलासों में साफ पानी भरवाकर एक—एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर धोल तैयार किया तो धोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। उक्त रंगहीन धोल के एक गिलास में श्री आशीष मीणा पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलिया डुबोकर धुलवायी गई तो धोवन का हल्का झाँईनुमा गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को कांच दो साफ शीशियों में आधा—आधा भरा जाकर सील मोहर कर चेपों पर मार्क आर.एच—1 एवं आर.एच—2 अंकित कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् उक्त तैयार शुदा सोडियम कार्बोनेट युक्त के रंगहीन धोल के दूसरे गिलास में आशीष मीणा पटवारी के बांये हाथ की अंगुलिया डुबोकर धुलवायी गई तो धोवन का रंग हल्का झाँईनुमा गुलाबी\_ हो गया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीशियों में आधा—आधा भरा जाकर सील मोहर कर चेपों पर मार्क एल.एच—1 एवं एल.एच—2 अंकित कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् श्री आशीष मीणा पटवारी की जामा तलाशी निष्पक्ष गवाह श्री नरेश चौधरी कनिष्ठ सहायक से लिरवाई गई तो श्री आशीष मीणा पटवारी के पहनी हुई आसमानी रंग की जिन्स पेंट के पीछे की दाहिनी जेब में 2,000 रुपये का एक एवं 500—500 रुपये के छ: नोट पाये गये। उक्त राशि निष्पक्ष गवाह से गिनवायी गई तो कुल 5,000 रुपये पाये गये। निष्पक्ष गवाह श्री दिलीप कुमार मेवाड़ा कनिष्ठ सहायक को इस प्रकरण से सम्बंधित फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि देकर उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत में अंकित नोटों के हुबहु पाये गये। उक्त बरामदा रिश्वत राशि 5,000 रुपये को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर शिल मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिये गये। जामा तलाशी के दौरान श्री आशीष मीणा पटवारी पेंट की जेब में 860 रुपये, ओपो कम्पनी का मोबाईल मय दो सीम कार्ड व पटवारी का परिचय पत्र मिले। उक्त राशि के बारे में श्री आशीष मीणा पटवारी से पूछा गया तो इन्होने उक्त राशि अपने खर्च के होना बताया। जिस पर उक्त राशि 860 रुपये व परिचय पत्र श्री आशीष मीणा पटवारी को सुपूर्द किये गये एवं मोबाईल कार्यवाही में वांछित होने से कब्जा ब्यूरो लिया गया।

तत्पश्चात् श्री आशीष मीणा पटवारी के पहनी हुई पेंट का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी के पहने हेतु अन्य पेंट की व्यवस्था कर पहनी हुई पेंट को उत्तरवाकर जिन्स पेंट के पीछे दाहिनी जेब के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। एक अन्य कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर धोल तैयार किया तो धोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। उक्त रंगहीन धोल के गिलास में आरोपी के

पहनी हुई जिन्स पेंट के पीछे दाहिनी जेब जंहा से रिश्वत राशि बरामद हुई को उल्टाकर सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को भी कांच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भरा जाकर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण लिखकर मार्क पी-1 एवं पी-2 अंकित किया जाकर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वक्त वाका पहनी पेंट की जेब पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर शील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी ली गई।

तत्पश्चात आरोपी श्री आशीष मीणा पटवारी को परिवादी श्री घेवरचन्द के पिता श्री ठाकराराम के ग्राम बड़गावड़ा में कृषि भूमि में जाति संशोधन करने हेतु प्रशासन गांवों के संग के दौरान प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज के बारे में पूछने पर अपनी टेबल पर पड़े पेड़ से निकालकर प्रस्तुत किये। उक्त रिकार्ड का अवलोकन करने पर उक्त दस्तावेज पेज संख्या 01 से 08 तक होकर प्रार्थी श्री घेवरचन्द पुत्र श्री ठाकराराम देवासी द्वारा दिनांक 08.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 में प्रस्तुत करने पर शिविर प्रभारी (एसडीएम) द्वारा दिनांक 08.10.2021 को ही तहसीलदार को मार्क किया, जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 08.10.2021 को पटवारी लापोद को राजस्व रेकर्ड अनुसार जांच करने के आदेश दिये गये। उक्त दस्तावेज कार्यवाही में वांछित होने से प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिए गये। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धोवन साथ ही मुर्तिब कर फर्द हाजा सम्बंधितगण को पढ़कर सुनाई गई। सुन-समझ सही होना स्वीकार कर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तत्पश्चात श्री नरेन्द्र चौधरी कानि. 286 आरोपी श्री आशीष मीणा पटवारी के निवास पर पहुंचा जिसको शामिल ट्रैप पार्टी किया गया एवं श्री अभय कुमार मु.आ. एमटी को मय सरकारी वाहन लेकर ग्राम लापोद आरोपी पटवारी के निवास पर आने हेतु जरिये दूरभाष पाबन्द किया गया।

दिनांक 16.02.2022 को समय 01:45 पी.एम. पर आरोपी श्री आशीष मीणा पटवारी के निवास की खाना तलाशी रुबरु स्वतंत्र गवाहान के नियमानुसार ली जाकर पृथक से खाना तलाशी फर्द मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात श्री अभय कुमार मुख्य आरक्षक एमटी न. 09 मय सरकारी वाहन टवेरा संख्या आरजे14 यूसी 8902 लेकर उपस्थित आया जिसको शामिल ट्रैप दल किया गया। दिनांक 16.02.2022 को समय 02:45 पी.एम. पर परिवादी श्री घेवरचन्द एवं आरोपी श्री आशीष मीणा पटवारी पटवार मण्डल लापोद तहसील सुमेरपुर जिला पाली के मध्य दिनांक 16.02.2022 को रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व एवं वक्त रिश्वत राशि लेन-देन हुई वार्तालाप जो ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकार्ड है। उक्त वार्ता को रुबरु मौतविरान एवं परिवादी के समक्ष सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सी. डी. तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर थैली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। उक्त दोनों सी.डी. को मालखाना प्रभारी श्री किशनसिंह हैड कानि० को सुपुर्द कर जमा ट्रैप बॉक्स करवाई गई।

तत्पश्चात दिनांक 16.02.2022 को समय 05:30 पी.एम. पर ट्रैप कार्यवाही में रिश्वती राशि मांग सत्यापन से पूर्व एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व एवं वक्त रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता जो ब्यूरो के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है, उक्त मैमोरी कार्ड को वॉईस रिकार्डर से बाहर निकालकर जरिये फर्द जब्ती के जब्त किया गया। फर्द जब्ती पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात दिनांक 16.02.2022 को समय 06:00 पी.एम. पर आरोपी श्री आशीष मीणा पुत्र श्री फेलीराम जाति मीणा उम्र 27 वर्ष पेशा नौकरी निवासी गांव धनावड़ा, तहसील बसवा, पुलिस थाना कोलवा जिला दौसा हाल पटवारी पटवार मण्डल लापोद तहसील सुमेरपुर जिला पाली के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री आशीष मीणा पटवारी को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 16.02.2022 को समय 06:30 ए.एम. पर परिवादी श्री घेरचन्द की निशादेही से रुबरु मौतबिरान के घटनास्थल का मौका मुआयना कर फर्द नक्शा मौका मुर्तिब कर जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 16.02.2021 को समय 08:40 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतन्त्र गवाहन, गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री आशीष मीणा पटवारी पटवार मण्डल लापोद तहसील सुमेरपुर जिला पाली एवं ब्यूरो जाब्ता मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजीटल वॉईस रिकार्डर, रिश्वती राशि सिल्ड शुदा, मालखाना आईटम फर्दानुसार जरिये सरकारी वाहन एवं निजी वाहन, मोटरसाईकिल के ब्यूरो कार्यालय पाली हेतु रवाना हुए। ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री घेरचन्द की आवश्यकता नहीं होने से परिवादी श्री घेरचन्द को गांव लापोद से ही रुखस्त किया गया।

दिनांक 16.02.2022 को समय 09:30 पी.एम. पर उपरोक्त रवाना शुदा भ्रनिब्यूरो कार्यालय पाली पहुँच प्रकरण हाजा में जब्त शुदा मालखाना आईटम क्रमशः आरोपी श्री आशीष मीणा पटवारी से बरामदा रिश्वती राशि 5,000 रुपये कपड़े की थैली में शिल्डशुदा, आरोपी श्री आशीष मीणा पटवारी के दोनों हाथों एवं पेट के जेब के धोवन की शिशियां क्रमशः मार्क आर. एच.-1, आर.एच.-2, एल.एच.-1, एल.एच.-2, पी.-1 व पी.-2 तथा रिश्वती राशि मांग-सत्यापन से पूर्व एवं वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की एक शिल्ड शुदा सी.डी कपड़े की थैली में शीलबन्द व एक डब सी.डी. खुली हालत में, रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व एवं वक्त रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की एक शिल्ड शुदा सी.डी कपड़े की थैली में शिल्डबन्द व एक डब सी.डी. खुली हालत में तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड शिल्डशुदा कपड़े की थैली में एवं आरोपी की जामा तलाशी में बरामद ओपो कम्पनी का मोबाइल मय दो सीम कार्ड एवं आरोपी के वक्त वाका पहनी हुई जींस पेंट कपड़े की थैली में शिल्डशुदा आदि मालखाना प्रभारी श्री किशनसिंह मुख्य आरक्षक 92 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री नरेश चौधरी कनिष्ठ सहायक, श्री दिलीप कुमार मेवाड़ा कनिष्ठ सहायक को रुखस्त किया गया।

दिनांक 16.02.2022 को वक्त 10:00 ए.एम. पर गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री आशीष मीणा पटवारी का चिकित्सक परीक्षण एवं कोविड-19 टेस्ट करवाना आवश्यक होने से चिकित्साधिकारी, बांगड़ अस्पताल पाली एवं पुलिस थाना कोतवाली के नाम की तहरीर देकर आरोपी आशीष मीणा पटवारी को ब्यूरो जाब्ता श्री किशनसिंह हैड कानि., श्री हनुमानसिंह, श्री धर्मराम कानि को सुपुर्द कर हिदायत दी गई की आरोपी का स्वस्थ्य परीक्षण करवाकर आरोपी स्वस्थ्य होने पर बाद स्वास्थ्य परीक्षण आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली में जमा करवाकर प्राप्त रसीद प्राप्त कर लेकर आवे। उपरोक्त को जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री अभय कुमार के रवाना किया। दिनांक 16.02.2022 वक्त 11:00 ए.एम. हैड कानि० श्री किशनसिंह मय ब्यूरो जाब्ता उपस्थित आये एवं हैड कानि० श्री किशनसिंह ने बताया कि भ्रनिब्यूरो पाली से रवाना होकर बांगड़ राजकीय चिकित्सालय पाली पहुँच, आरोपी का मेडीकल मुआयना एवं कोविड-19 परीक्षण करवाया गया जिसपर आरोपी स्वस्थ होना पाया गया जिसपर आरोपी श्री आशीष मीणा पटवारी को पुलिस थाना कोतवाली की हवालात में जमा करवाकर प्राप्त रसीद प्राप्त कर लाया हुँ। हैड कानि श्री किशनसिंह द्वारा मेडीकल रिपोर्ट एवं पुलिस थाना कोतवाली में जमा की रसीद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की। मेडीकल रिपोर्ट एवं प्राप्ति रसीद का अवलोकन कर शामिल पत्रावली की गई।

इस प्रकार संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही से परिवादी श्री घेरचन्द पुत्र श्री ठाकरराम जाति रेवारी, गांव बडगावड़, ग्राम पंचायत लापोद, तहसील सुमेरपुर जिला पाली द्वारा अपने पिताजी के नाम जमीन की जमाबंदी में अपने पिताजी की जाति को सीरवी से रेवारी करने हेतु पटवारी श्री आशीष मीणा द्वारा रिश्वत की मांग करने की एक लिखित शिकायत प्रस्तुत करना, परिवादी की शिकायत के सन्दर्भ में मांग सत्यापन के दौरान आरोपी पटवारी श्री आशीष मीणा द्वारा परिवादी से 10000/- रुपये लेने हेतु सहमत होना एवं 5000/- रुपये काम करने से पहले एवं 5000/- रुपये बाद में लेन की वार्ता मांग सत्यापन के दौरान ब्यूरो



के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकार्ड होना, वक्त रिश्वत राशि लेन-देन आरोपी से रिश्वत राशि 5000/- रूपये आरोपी के पहनी हुई जींस पेंट से बरामद होना, आरोपी के दाहिने एवं बांये हाथ की अंगुलियों का धोवन हल्का झाँईनूमा गुलाबी तथा आरोपी के पहनी हुई जींस पेन्ट की जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई का धोवन हल्का गुलाबी आना, परिवादी द्वारा केम्प में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री आशीष मीणा से बरामद होना, परिवादी का कार्य पेंडिंग होना आदि कृत्य से आरोपी श्री आशीष मीणा पुत्र श्री फेलीराम जाति मीणा उम्र 27 वर्ष पेशा नौकरी निवासी गांव धनावाड़ा, तहसील बसवा, पुलिस थाना कोलवा जिला दौसा हाल पटवारी पटवार मण्डल लापोद तहसील सुमेरपुर जिला पाली के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत कारित करना प्रमाणित पाया जाने पर विस्तृत अनुसंधान का निर्णय लिया जाना उचित रहेगा।


अतः आरोपी श्री आशीष मीणा पुत्र श्री फेलीराम जाति मीणा उम्र 27 वर्ष पेशा नौकरी निवासी गांव धनावाड़ा, तहसील बसवा, पुलिस थाना कोलवा जिला दौसा हाल पटवारी पटवार मण्डल लापोद तहसील सुमेरपुर जिला पाली के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

(नरपत चंद)

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो  
पाली

## कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरपत चंद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री आशीष मीणा, पटवारी, पटवार मण्डल लापोद, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली के विरुद्ध अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 51/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तपतीश जारी है।

 17.2.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

क्रमांक 469-73 दिनांक 17.02.2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, पाली।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम।

 17.2.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर